न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0 107/2023-24
धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष .... रिजवाना बीबी .... वगैरह
बनाम
द्वितीय पक्ष .... मुमताज बीबी .... वगैरह

आदेश की क्र0सं0 की तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तिथि
	थाना बसिया के अप्राथमिकी संख्या 01/2024 दिनांक 09.01.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** :– (1) रिजवाना बीबी उम्र 30 वर्ष पति– शेख अजिम (2) शेख अजिम उम्र 55 वर्ष पिता– स्व0 शेख सामुद्दीन, ग्राम– किन्दिरकेला थाना– बसिया, जिला–गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** :– (1) मुमताज बीबी उम्र 45 वर्ष पति– स्व0 शेख हफीज (2) शेख जरीब उम्र 27 वर्ष पिता– शेख अमरूद्दा (3) हमीद उम्र 20 वर्ष पिता– स्व0 सफीक (4) शेख मंजूर उम्र 19 वर्ष पिता– शेख हफीज सभी सा0 किन्दिरकेला, थाना– बसिया जिला– गुमला मौजा– किन्दिरकेला थाना– बसिया के खाता संख्या 69 प्लॉट सं0 315, 318, 319, 344, 345, 518, 519 रकबा क्रमशः 1.33ए0, 0.02ए0, 0.84ए0, 0.08ए0, 0.21ए0, 0.12ए0, 0.08ए, कुल रकबा 2.68 एकड़ भूमि पर दोनों पक्षों के बीच कुँआ खोदने को लेकर विवाद है। जिसको लेकर आपसी उभय पक्षों के बीच शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो सकती है। थाना प्रभारी, बसिया के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है। **प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–** प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रस्तुत वाद बसिया थाना अप्राथमिकी संख्या 01/2024 दिनांक 09.01.2024 के प्रतिवेदन के आधार पर उभय पक्षों के बीच की गई है। जो प्रथम पक्ष के विरूद्ध चलने योग्य नहीं है और खारिज करने लायक है। मौजा– किन्दिरकेला थाना– बसिया के खाता संख्या 69 प्लॉट सं0 315, 318, 319, 344, 345, 518, 519 रकबा क्रमशः 1.33ए0, 0.02ए0, 0.84ए0, 0.08ए0, 0.21ए0, 0.12ए0, 0.08ए, कुल रकबा 2.68 एकड़ भूमि से संबंधित है। जमीन आर0एस0 खतियान में शेख बहादुर व शेख सरवन, पिता– खुदा बक्स के नाम दर्ज है। जिसकी वंशावली सुविध निम्नवत है :–	

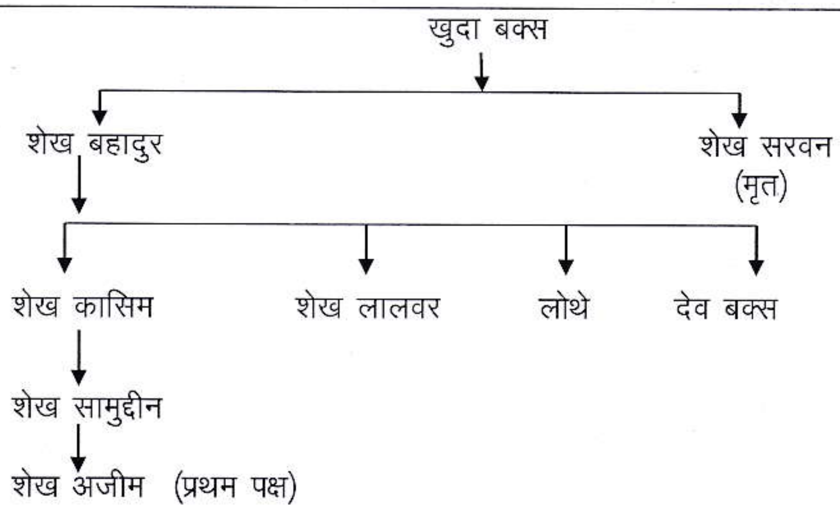

प्रश्नगत जमीन खाता संख्या 69 कुल रकबा 2.68 एकड़ शेख सामुद्दीन के हिस्से में मौखिक बंटवारा में प्राप्त हुआ और तदनुसार उपरोक्त जमीन में शांतिपूर्वक दखलकार होकर काविज हुए और शेख सामुद्दीन के नाम जमाबन्दी कायम हुआ। उपरोक्त खाता संख्या 69 कुल रकबा 2.68 एकड़ का जमाबन्दी शेख सामुद्दीन के नाम कायम है जो भोलुम संख्या 02 पेज संख्या 208 पर दर्ज है। पंजी ii रजिस्टर में भी शेख सामुद्दीन पिता– शेख कासिम जो प्रथम पक्ष शेख अजीम के पिता है के नाम दर्ज है। जमीन पर शांतिपूर्वक काविज होकर सरकार को अद्यतन सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे है। द्वितीय पक्ष बिना हक व सरोकार के जबरदस्ती बलपूर्वक प्रथम पक्ष के जमीन पर कुँआ खोदने का प्रयास कर रहे है जिससे कभी भी प्रथम पक्ष के द्वारा शांति भंग हो सकती है। द्वितीय पक्ष के सदस्य झगड़ालु और दबंग किस्म के व्यक्ति है और संख्याबल में अधिक होने के कारण बिना हक व सरोकार के कानून को अपने हाथ ले रहे है। द्वितीय पक्ष प्रश्नगत जमीन को लेकर कोई भी अप्रिय घटना कर सकते है और शांति भंग कर सकते है। प्रथम पक्ष के जमीन पर द्वितीय पक्ष का कोई हक व अधिकार नहीं है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति एवं साक्ष्यों के आधार पर श्रीमान से अनुरोध है कि धारा 144 द0प्र0स0 की कार्यवाही प्रथम पक्ष के हित में विलुप्त करते हुए द्वितीय पक्ष के विरूद्ध स्थिर किया जाय।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1. खतियान की छायाप्रति।
2. ऑनलाईन पंजी ii की छायाप्रति।
3. ऑलाईन रसीद की छायाप्रतिं।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि द्वितीय पक्ष की ओर से किसी भी तरह की शांति भंग होने की संभावना नहीं है बल्कि प्रथम पक्ष की ओर से शांति भंग होने की प्रबल संभावना है। द्वितीय पक्ष की शांति पूर्ण दखल कब्जा वाला जमीन में प्रथम पक्ष अनेक तरह की कठिनाई उत्पन्न कर रहे है। प्रथम पक्ष के लिखित आवेदन 09.01.2022 पर बसिया थाना अप्राथमिकी संख्या 01/2024 के आधार पर उभय पक्षों के विरूद्ध यह वाद लाया

लाया गया है जो द्वितीय पक्ष पर चलने योग्य नहीं है। विवाद का कारण मौजा – किन्दिरकेला थाना– बसिया के खाता संख्या 69 प्लॉट सं0 315, 318, 319, 344, 345, 518, 519 रकबा क्रमशः 1.33ए0, 0.02ए0, 0.84ए0, 0.08ए0, 0.21ए0, 0.12ए0, 0.08ए, कुल रकबा 2.68 एकड जमीन अवस्थित है। ऑनलाईन की सभी कागजात में समिलात खाता की जमीन है एनेक्चर 1 खतियान की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न है। ऑफलाईन की सभी कागजात में समिलात खाता की जमीन है एवं उभय पक्षों के सदस्यों के पूर्वज का नाम दर्ज है ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत वंशावली की छायाप्रति एनेक्चर 2 आवेदन के साथ संलग्न है। स्थानीय पुलिस ने तोड़ मरोड़ कर तथ्य को प्रतिवेदित किया है जो मान्य नहीं है। उपयुक्त परिस्थिति को देखते हुए वर्तमान कार्यवाही को प्रथम पक्ष पर जारी रखने योग्य है। प्रथम पक्ष के सदस्य झगड़ालू और दबंग किस्म के व्यक्ति है और संख्या बल में अधिक होने के कारण बिना हक सरोकार के कानून को अपने हाथ में ले रहे है। प्रथम पक्ष के सदस्य द्वितीय पक्ष के जमीन को लेकर कभी भी कोई अप्रिय घटना कर सकते है जिससे शांति भंग होने की संभावना है।द्वितीय पक्ष के जमीन पर प्रथम पक्ष का कोई हक सरोकर व अधिकार नहीं है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति एवं कागज के आधार पर द0प्र0सं0 की धारा 144 द्वितीय पक्ष के हित में विलुप्त करते हुए प्रथम पक्ष को स्थिर किया जाय।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1. खतियान की छायाप्रति।
2. वंशावली की छायाप्रति।

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचती हूँ कि मौजा– किन्दिरकेला थाना– बसिया के खाता संख्या 69 प्लॉट सं0 315, 318, 319, 344, 345, 518, 519 रकबा क्रमशः 1.33ए0, 0.02ए0, 0.84ए0, 0.08ए0, 0.21ए0, 0.12ए0, 0.08ए, कुल रकबा 2.68 एकड़ भूमि से संबंधित है। उपरोक्त खाता संख्या 69 कुल रकबा 2.68 एकड़ का जमाबन्दी शेख सामुद्दीन के नाम कायम है जो भोलुम संख्या 02 पेज संख्या 208 पर दर्ज है। पंजी ii रजिस्टर में भी शेख सामुद्दीन पिता– शेख कासिम जो प्रथम पक्ष शेख अजीम के पिता है के नाम दर्ज है। जमीन पर शांतिपूर्वक काविज होकर सरकार को अद्यतन सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे है। ऑनलाईन की सभी कागजात में समिलात खाता की जमीन है एनेक्चर 1 खतियान की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न है। ऑफलाईन की सभी कागजात में समिलात खाता की जमीन है एवं उभय पक्षों के सदस्यों के पूर्वज का नाम दर्ज है ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत वंशावली की छायाप्रति एनेक्चर 2 आवेदन के साथ संलग्न है।

उक्त वादग्त भूमि पर द्वितीय पक्ष को स्थिर किया जाता है एवं प्रथम पक्ष के हित में आदेश पारित किया जाता है। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, एवं थाना प्रभारी बसिया को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2025.02.22 11:24:09 +05:30
Location: 192.168.0.112

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

23/2/24

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।